न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 71/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

असेटस रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र यादव

पंजीकृत कार्यालयः– दी रूबी 10वां फ्लोर, 29 सेनापति सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुम्बई 400028

शाखा कार्यालयः– यूनिट नं. 1001, दसवां फ्लोर सिगनेट टॉवर, डीएन 2 सेक्टर पांच साल्ट लेक कलकता 700091 पश्चिम बंगाल

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **राजेश कुमार पुत्र गंगा राम** निवासी वार्ड नं. 1 नेहरू मोहल्ला, रामगढ़ शेखावाटी, रामगढ़ फतेहपुर सीकर 331024 राज.
2. **सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगा राम** निवासी वार्ड नं. 1 नेहरू मोहल्ला, रामगढ (रूरल), रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर सीकर 331024 राज.
3. **सुनिता पत्नी सुरेन्द्र** निवासी वार्ड नं. 1 मोहल्ला खटिकान, रामगढ (रूरल), फतेहपुर सीकर 331024 राज.
4. **इमरान भाटी पुत्र अनवर भाटी** निवासी मस्जिद के पास, फतेह इस्लाम, रामगढ़, फतेहपुर, सीकर 331024 राज.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 04 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री सुभाष चन्द्र कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **राजेश कुमार पुत्र गंगा राम, सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगा राम, सुनिता पत्नी सुरेन्द्र** व **इमरान भाटी पुत्र अनवर भाटी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति दुकान नं. 4, (गोविन्दम कॉम्पलेक्स, बेसमेन्ट) एनपी फतहेपुर जिला सीकर राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 45.37 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में मार्केट की खाली भूमि, पश्चिम दिशा में दुकान नम्बर 5 व रास्ता, उत्तर दिशा में मार्केट की खाली भूमि एवं दक्षिण दिशा में दुकान नम्बर 3 स्थित है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल ₹12,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये बारह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.09.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.09.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **राजेश कुमार पुत्र गंगा राम, सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगा राम, सुनिता पत्नी सुरेन्द्र** व **इमरान भाटी पुत्र अनवर भाटी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति दुकान नं. 4, (गोविन्दम कॉम्पलेक्स, बेसमेन्ट) एनपी फतहेपुर जिला सीकर राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 45.37 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में मार्केट की खाली भूमि, पश्चिम दिशा में दुकान नम्बर 5 व रास्ता, उत्तर दिशा में मार्केट की खाली भूमि एवं दक्षिण दिशा में दुकान नम्बर 3 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **04 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर